"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016— श्रावण 21, शक 1938

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2011/रास/यू-2. — इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा-14 (2) में निहित प्रावधान अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति के पद के लिए न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है :-

1.	श्री सरजियस मिंज, आई. ए. एस., सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, छ. ग. राज्य सूचना आयोग 9, मौलश्री विहार, पुरैना, रायपुर.	-	कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति.
2.	प्रोफेसर दिनेश कुमार मारोठिया प्रेसीडेन्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इकोलॉजी मेम्बर (नॉन आफिशियल), स्टेट प्लानिंग कमीशन छ. ग. 19, प्रोफेसर कॉलोनी, कृषक नगर, रायपुर.	-	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति.
3.	Dr. Ramakrishnaiah Duvvuri Team Leader (MSG), Small Farmers' Agribusiness Consortium, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Govt. of India, NCUI Auditorium Building, 5th Floor, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110 016.	-	बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति

2. श्री सरजियस मिंज, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

3. उपर्युक्त समिति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 14(4) के प्रावधान अनुसार यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के
आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.